छत्तीसगढ़ विधान सभा

क्रमांक— 3

पत्रक भाग - दो

सोमवार, दिनांक 2 फरवरी, 2026 (माघ 13, शक 1947)

मानननीय राज्यपाल महोदय के चल समारोह की रूपरेखा एवं विस्तृत प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधान सभा का अष्टम् सत्र सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2026 से आरंभ होगा। सत्र के प्रथम दिन सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2026 को छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 176 के खण्ड (1) के अधीन विधान सभा भवन के सभा कक्ष में पूर्वाह्न 11:05 बजे अभिभाषण करेंगे।

सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2026 को सभा की बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रारंभ होगी। सभी सदस्य अपना—अपना स्थान ग्रहण करेंगे। राष्ट्रगीत तथा राज्यगीत होगा एवं माननीय अध्यक्ष माननीय राज्यपाल के आगमन की सूचना देंगे एवं उनकी प्रतीक्षा करने के लिये सदस्यों से अनुरोध करेंगे। समस्त माननीय सदस्य सभाभवन में अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे तथा **माननीय अध्यक्ष माननीय राज्यपाल के स्वागत के लिये माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्यमंत्री एवं सचिव, विधान सभा के साथ** राज्यपाल द्वार पर माननीय राज्यपाल के स्वागत हेतु प्रस्थान करेंगे और माननीय राज्यपाल के आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। माननीय राज्यपाल के राज्यपाल द्वार पर आगमन पर उनका स्वागत करेंगे। तद्उपरांत माननीय राज्यपाल महोदय निम्नानुसार निर्धारित चल समारोह के क्रम में सभाभवन में प्रवेश करेंगे :—

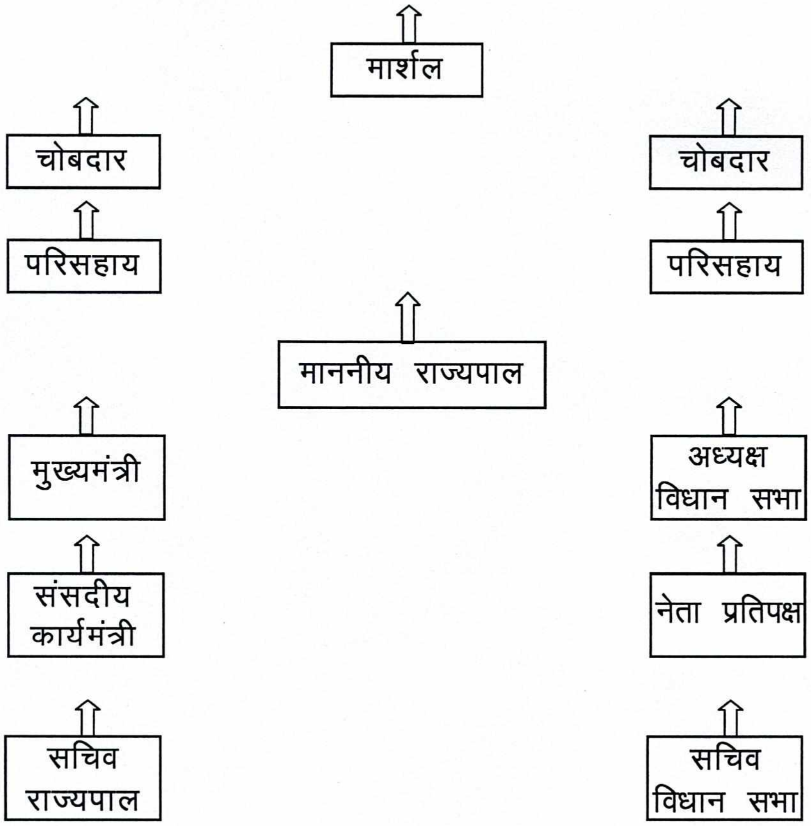

क्रमश : 2

1. चल समारोह जब सभा कक्ष में प्रवेश करेगा, तब सभा कक्ष में प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही मार्शल माननीय राज्यपाल के आगमन की घोषणा यह कहकर करेंगे कि – **माननीय सदस्यगण माननीय राज्यपाल महोदय**। ऐसी घोषणा किये जाने पर सभा कक्ष में उपस्थित समस्त माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जायेंगे।
2. सभा भवन के गर्भगृह में पहुंचने पर चौबदार, माननीय राज्यपाल के ए.डी.सी. (परिसहाय), माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, सचिव, विधान सभा एवं माननीय राज्यपाल के सचिव अपने बैठने के स्थान की ओर चले जायेंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे।
3. मंच पर मार्शल, माननीय राज्यपाल के ए.डी.सी. (परिसहाय) क्रमशः अध्यक्ष एवं माननीय राज्यपाल की कुर्सी के पीछे खड़े रहेंगे। माननीय अध्यक्ष माननीय राज्यपाल के बाई ओर बैठेंगे। जैसे ही माननीय राज्यपाल अपने आसन पर पहुंचेंगे, दर्शक दीर्घा में पुलिस बैण्ड द्वारा राष्ट्रधुन बजाई जायेगी। माननीय राज्यपाल महोदय के सभा भवन में प्रवेश से लेकर माननीय राज्यपाल के अपनी कुर्सी पर पहुंचने एवं राष्ट्रधुन की समाप्ति तक समस्त माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े रहेंगे।
4. माननीय राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ेंगे। यह परम्परा है कि जब माननीय राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ते हैं, सदस्य पूर्ण शांति बनाये रखते हैं और अभिभाषण के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवस्था का प्रश्न, बहिष्कार या अन्य प्रकार से व्यवधान पैदा नहीं किया जाता है और माननीय राज्यपाल के प्रति पूर्ण आदर एवं सम्मान की भावना व्यक्त की जाती है।
5. अभिभाषण के पश्चात् पुनः दर्शक दीर्घा में स्थित पुलिस बैण्ड द्वारा राष्ट्रधुन बजाई जाती है और फिर माननीय राज्यपाल उसी प्रकार चल समारोह के साथ उसी मार्ग से वापस जाते हैं, जिस मार्ग से और जिस प्रकार चल समारोह के साथ माननीय राज्यपाल प्रवेश करते हैं। जब माननीय राज्यपाल सभा भवन से बाहर जाते हैं, तब सभी सदस्य अपने स्थान पर उनके सम्मान में खड़े रहते हैं।
6. अभिभाषण की समाप्ति एवं माननीय राज्यपाल के सभा से चले जाने के पश्चात् सदस्य अपना स्थान ग्रहण करेंगे और उस दिन के लिये नियत कार्यवाही के लिये अध्यक्ष के वापस आने की प्रतीक्षा करेंगे।

माननीय राज्यपाल का अभिभाषण–कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर संशोधन

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 14 के अंतर्गत माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर किसी एक सदस्य के द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और किसी दूसरे सदस्य के द्वारा उनका समर्थन किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत किये जाने वाले कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर संशोधन देने के लिये मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2026 को मध्याह्न 12:00 बजे तक का समय नियत किया है तथा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हेतु **बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2026 अस्थायी रूप** से नियत किये गये हैं।

समस्त माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि माननीय राज्यपाल के विधान सभा आगमन पर सभा की गरिमा के अनुरूप समारोह के सम्पन्न होने में सहयोग करेंगे।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा